





General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़  
पीठासीन अधिकारी - दमयंती कंवर आर.ए.एस.

महावीर प्रसाद पुत्र हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।	-बनाम-	ओमप्रकाश पुत्र हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू वगैरह।
किरम मुकदमा - दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 16 / 2022 GCMS No
आदेश	कार्यवाही विवरण	
09.02.22	<p>आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर होने पर तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक वादी के खर्चे पर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 09.03.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">         दमयंती कंवर (R.A.S.)        ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)        नवलगढ़     </p>	
13/3/22	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपरोक्त पत्रावली का पत्र रजिनामा पेश किया जो वाद में मिला है। पत्रावली दिनांक 14/3/22 को पेश हो।</del></p> <p style="text-align: center;">         ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)        नवलगढ़     </p>	
14/3/22	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपरोक्त पत्रावली का पत्र रजिनामा पेश किया जो वाद में मिला है। पत्रावली दिनांक 14/3/22 को पेश हो।</del></p> <p style="text-align: center;">         ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)        नवलगढ़     </p>	
14/3/22	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने दिनांक 21/3/22 को फा.पत्र पेश कर प्रकरण में पत्रावली के अन्तर्गत रजिनामा होने से वाद चलाना नहीं चाहे है। प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज करमावे। अतः वादी के फा.पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के माह सुमाह होकर दर्ज नम्बर से इस वाद रजिनामा जाता जायित कलक्टर को निर्णय सुले न्यायालय को सुनाया गया।</del></p> <p style="text-align: center;">         ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)        नवलगढ़     </p>	

  
 ड.बि.  
 महावीर  
 H.D.  
 14/3/22

